न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

राजस्व अपील सं0 233/2019 अनवान कासम पुत्र नूर मो0 बनाम कासम पुत्र रहीमबक्स वगैरा

दिनांक 18.11.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाप (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 153/2018 में पारित आदेश दिनांक 26.11.19 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी –कासम पुत्र रहीमबक्स ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बाप स्थित ग्राम खीरवा के ख0नं0 112/7 की खरीदशुदा व राजस्व नक्शे मे तरमीमशुदा भूमि की माफिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 13.10.18 पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 2 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि के पडौसी खसरा नं0 112/10 के सह–खातेदार व काश्तकार है, दोनों के खेत सेढो पर आये हुए है तथा मौके पर सीमा चिन्ह कायम नही है। पक्षकारों के मध्य बंटवाडा को लेकर मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में अपील सं0 5076/2013 लंबित है, जिसमें स्थगन पारित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आस–पडौस के अन्य खातेदारों को पक्षकार नही बनाया व अपीलांट को विधिवत नोटिस तामिल करवाये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा विधिविरूद्ध आदेश पारित करवा दिया गया। वादग्रस्त भूमि का राजस्व नक्शें में बंटवाडा नही होने के कारण रेस्पो0सं0 1 पत्थरगढी करवाने का अधिकारी नही है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2073–76 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति के अनुसार ग्राम खीरवा के ख0नं0 112/7 की भूमि उसकी खरीदशुदा व राजस्व नक्शें में तरमीमशुदा है। वक्त खरीद कब्जा सुपुर्दगी के अनुसार मौके पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इसमें रहवासीय मकान, टांका, पशुओं का बाड़ा तथा चारों तरफ बाड़ की हुई है। माफिक पैमाईश वादग्रस्त भूमि के चारों खूटे रोपने पर इसके दक्षिण दिशा में ख0नं0 112/10 के खातेदार अपीलांट–अप्रार्थी सं0 2 ने रूकावट पैदा कर, दिनांक 13.10.18 की पैमाईश को मानने से इंकार कर दिया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें अप्रार्थी के सम्मन रजि0 डाक द्वारा तामिल मानते हुए उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है। अपीलाधीन आदेश वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमाज्ञान पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए मौका फर्द दिनांक 13.10.18 अनुसार पत्थरगढी करवाने का पारित किया गया है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि की नेखमंदी बेवजह नही चाहता है, क्योंकि इसके संबंध में यदि मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में वाद/अपील लंबित है तो साक्ष्य के तौर आदिनांक तक की आदेशिकाएं व दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए थे, जो उसके द्वारा नही किए गये। अतः अपील खारिज कर, अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 13.10.18 के अनुसार वादग्रस्त ख0नं0 112/7 का सीमाज्ञान करवाया चुका है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद जमाबंदी संवत् 2073–76 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति के अनुसार उक्त खसरान की भूमि राजस्व नक्शें मे तरमीम शुदा है तथा अपीलांट–रेस्पो0सं0 2 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक रसीद दिनांक 8.1.19 मौजूद है। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 153/2018 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.19 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज **दिनांक 18.11.2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर